राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 9 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1574-ज-(II)-83/40828.—श्री मंगत राम पुत्र श्री श्योचन्द वार्ड नं. 14, हरिजन मोहल्ला, जिला जीन्द की दिनांक 12 जून, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं (2) (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियां का प्रयोग करते हुये श्री मंगत राम की मुल्लिग 300/-रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना 685-ज-(II)-75/12130, दिनांक 8 मई, 1975 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भरतो देवी के नाम रबी 84 से 300/-रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1571-ज-(I)-83/40832.—श्री मूलचन्द पुत्र श्री रूप चन्द मकान नं० 9 बार्ड नं० 12 राम नगर गुड़गांवा जिला गुड़गांवा की दिनांक 30 जनवरी, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मूलचन्द की मुल्लिग 300/- रुपये वार्षिक की जागीर जो हरियाणा सरकार अधिसूचना क्रमांक 1301-ज-(II)-77/19453, दिनांक 8 अगस्त, 1977 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मूलो देवी के नाम खरीफ 1983 से 300/-रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 12 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1440-ज-(I)-83/40954.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों को प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री गुरादित्ता मल, पुत्र श्री शिवचंद गांव अघोई तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150/-रुपये वार्षिक तथा रबी, 80 से 300/-रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 22 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1614-ज(I)-83/42346.—श्री मंगल सिंह, पुत्र श्री होला राम, गांव हालियाकी, तहसील पाटौदी, जिला गुड़गांवा को दिनांक 25 नवम्बर, 1977 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजोब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मंगल सिंह की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 3037-जे.एन.-III-66/5645, दिनांक 2 अप्रैल, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भागकौर के नाम खरीफ 1978 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1083-ज-I-83/42351.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1083-ज-I-83/39589, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 की नौवीं कतार में रबी 1983 की बजाये खरीफ 1983 पढ़ा जाये।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1983

क्रमांक 1677-ज-(II)-83/42668.—श्री नारायण सिंह, पुत्र श्री तालब सिंह, गांव बड़ागांव, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 12 फरवरी, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नारायण सिंह की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16415-जे-एन-III-66/18540, दिनांक 29 अगस्त, 1966

तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भगती देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

क्रमांक **1676-जे-(I)-83/42672.** —श्री नन्द राम, पुत्र श्री बलिया, गांव बुंगा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 28 दिसम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नन्द राम की मुआफिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1844-जे-I-78/35918, दिनांक 18 दिसम्बर, 1978 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दरवी देवी के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 27 दिसम्बर, 1983

क्रमांक **1690-ज(II)-83/42810**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सुलतान सिंह, पुत्र श्री राम प्रसाद, गांव मोहलड़ा, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1975 से खरीफ़, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1684-ज-(II)-83/42814.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाण राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री उदमीराम, पुत्र श्री बदलूराम, गांव बधराना, तहसील बावल; जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 दिसम्बर, 1983

क्रमांक **1678-ज(I)-83/42974.**—श्री कुलवन्त राम, पुत्र श्री जोधराम, गांव साढौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला, की दिनांक 21 सितम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कुलवन्त राम की मुआफिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2612-ज-I-72/31764, दिनांक 24 अगस्त, 1972 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 24 अगस्त, 1972, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती रूकमन देवी के नाम रबी, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

टी० आर० तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

HOUSING BOARD HARYANA

The 19th December, 1983

No. 66/9/HBH.—In exercise of the powers conferred by section 74 of the Haryana Housing Board Act, 1971 (Haryana Act No. 20 of 1971) and of all other powers enabling it in this behalf, the Housing Board, Haryana, with the previous sanction of the Government of Haryana,—*vide* their memo No. 3/5/82-1/Awas, dated 7th December, 1983 makes the follwing amendments in Housing Board, Haryana (Allotment, Management and sale of Tenements) Regulations, 1972, published,—*vide* notification No. HHB-72/6678, dated 22nd November, 1972 in Haryana Government Gazette, Part III.

Clause 3 of hire purchase tenancy agreement (Form 'A') shall be substituted as under:—

"(3) The owner hereby agrees after the expiry of the hire purchase period to transfer the said property to the hirer by executing conveyance deed with him in the prescribed form provided that he has paid all the dues of the owner and of the public bodies, if any, prior to such execution. The hirer thereafter shall cease to be tenant and become the owner of property subject to the provisions of the said conveyance deed.

If any dispute or difference of opinion arises regarding interpretation of the wordings of the said regulations of the agreements made thereunder or any decisions taken or proposed to be taken in accordance with the said regulations or agreements, the Chief Administrator shall take a decision and such decision shall be final and binding on the hirers".

(Sd.) . . . .,

Secretary,

for Chief Administrator,
Housing Board, Haryana.

COOPERATION DEPARTMENT

The 26th December, 1983

No. 8272-VI-83/42499.—In exercise of the powers conferred under section 77 of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961, and all other powers enabling him in this behalf. the Governor of Haryana is pleased to exempt the Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited from not holding the annual general body meeting as required under section 24 *ibid* during the year 1982-83.

KULWANT SINGH,

Secretary to Government, Haryana,
Cooperation Department.

HEALTH DEPARTMENT

The 27th December, 1983

No. 36/5(2)83-4HBII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Central Act 37 of 1954) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby authorises the food Inspector appointed as such,—*vide* Haryana Government, Health Department Notification No. 36/5(1) 83-HBII, dated the 7th December, 1983 in the Local Areas of their respective jurisdiction excepting Railway Stations and Railway premises.

No. 36/5 (1) 83-4HBII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the prevention of Food Adulteration Act, 1954 (Central Act 37 of 1954), read with rule 18 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, the Governor of Haryana hereby appoints Shri Jagan Nath Raheja, Tehsil Sanitary Inspector, to be the Food Inspector for the whole of the State of Haryana excepting Railway Stations and Railway premises.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Food Adulteration Act, 1954, the Governor of Haryana hereby specifies that Local (Health) Authority Incharge of Health Administration of the Local Area wherein the aforesaid Food Inspector is posted to which he shall be officially subordinate.

M. SETH,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana.
Health Department.

CORRIGENDUM

In the third line of Animal Husbandry Department's Notification No. G.S.R. 65/Const./Art. 309/Amd. (II)/83, dated 11th November, 1983, published on page 752 of the *Haryana Government Gazette* (*Extraordinary*), dated November 11, 1983, for the letters 'io' the word 'in' may be substituted.